जिला योजना/ आयोजनागत
संख्या–666/III (2)/05–30 (बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 22 जून, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सड़कें जिला योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1 के पत्र सं0– 527ए/XXVII(1)/वित्त अनुभाग–1/2005 दिनांक 26.04.2005 के अनुपालन में एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्र सं0–744/02 बजट (जिला योजना)/2005–06 दिनांक 25.05.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सडकें जिला योजना (आयोजनागत) में चालू कार्यों हेतु रू0 4200.00 लाख (रू0 बयालीस करोड मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. (क) उक्त धनराशि का व्यय जिला समिति द्वारा अनुमोदित चालू कार्यो पर किया जायेगा। तथा जिला सेक्टर की नई योजनाओ पर व्यय शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा। चालू योजनाओ पर भी व्यय अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा ।

(ख) स्वीकृत धनराशि के संबंध में जिलेवार एवं कार्यवार फांट करके एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त धनराशि का व्यय डी.सी. एल. के आधार पर किया जायेगा, तथा मासिक आवयश्यकतानुसार तीन समान किश्तों में कोषागार से आहरण किया जायेगा, एवं वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग एवं विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगे ।

4. उक्त धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब विगत वर्ष मे उक्त मद मे जिला योजनान्तर्गत समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाय । जिन जनपदो मे विगत वर्ष की पूर्ण धनराशि का उपयोग हो चुका है वे ही उक्त धनराशि का आहरण कर सकते है।

5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो /पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

Go-473

7. व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा जो अनुमोदित हो।
8. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.06 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
10. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक -5054 सडको तथा सेतुओ पर पूजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सडकें - आयोजनागत -800-अन्य व्यय-91जिला योजना-00-24 वृहत्त निर्माण कार्य में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0- 575/वित्त अनुभाग-3/05,दिनांक, 21 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः- यथोक्त ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 666(1)/ III(2)/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/ देहरादून ।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
3- मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लो0नि0वि0,देहरादून ।
4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
6- मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- श्री एल.एम. पन्त, अपर सचिव, वित्त (बजट) अनुभाग, उत्तरांचल शासन ,देहरादून ।
9- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
10- वरिष्ठ प्रभारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल शासन ।
11- निजी सचिव ,मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

Go 474

शासनादेश संख्या– 666/।।।(2)/04-30(बजट)/2004 दिनांक 22 जून, 2005 का संलग्नक
अनुदान संख्या–22
लेखाशीर्षक–5054–सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें
5054–04–800–91– जिला योजना–24 वृहत्त निर्माण कार्य ।

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. स.	जनपद का नाम	वर्ष 2005–06 में कुल परिव्यय	वर्ष 2005–06 में प्रस्तावित धनराशि			
			सामान्य कार्य	एस.सी.पी. के कार्य	टी.एस.पी. के कार्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	नैनीताल	495.01	365.00	100.00	8.00	473.00
2.	उधमसिंहनगर	555.00	475.00	65.00	15.00	555.00
3.	अल्मोड़ा	300.00	190.00	15.00	—	205.00
4.	पिथौरागढ़	258.50	170.00	—	—	170.00
5.	बागेश्वर	370.00	250.00	30.00	—	280.00
6.	चम्पावत	315.00	200.00	—	—	200.00
7.	देहरादून	275.00	225.00	40.00	10.00	275.00
8.	पौडी	300.00	200.00	50.00	—	250.00
9.	टिहरी	350.00	240.00	85.00	22.00	347.00
10.	चमोली	380.00	270.00	75.00	3.00	348.00
11.	उत्तरकाशी	390.00	240.00	60.00	12.00	312.00
12.	रूद्रप्रयाग	296.45	190.00	40.00	—	230.00
13.	हरिद्वार	561.00	555.00	—	—	555.00
	योग	4845.96	3570.00	560.00	70.00	4200.00

रूपये बयालीस करोड़ मात्र

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

Gr 476